Azadi Ka Amrit Mahotsav

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भः आईआरडीएआई/एनएल/सीआईआर/विविध/96/05/2022 दिनांकः 12 मई 2022
Ref:IRDAI/NL/CIR/MISC/96/05/2022 Date:12th May 2022

सभी साधारण बीमाकर्ता (स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं को छोड़कर)
ALL GENERAL INSURERS (Other than Stand Alone Health Insurers and Specialised Insurers)

विषयः निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के लिए अग्नि बीमा उत्पादों की फाइलिंग
Re: Filing of fire insurance product for Dwellings, Micro and Small Businesses

1. प्राधिकरण ने अधिसूचना एफ. सं. आईआरडीएआई/गैर-जीवन बीमा/5/171/2020 के द्वारा कुछ जोखिमों के लिए पूर्व के अखिल भारतीय अग्नि प्रशुल्क (एआईएफटी) की अधिसूचना को निरस्त (डी-नोटिफाई) किया। इसके अलावा, यह सूचित किया गया कि 1 अप्रैल 2021 से विनिर्दिष्ट जोखिमों के लिए अग्नि और संबद्ध जोखिम कवर प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में घोषित विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगे।

2. तदनुसार, प्राधिकरण ने निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों हेतु अग्नि और संबद्ध जोखिमों के लिए मानक उत्पादों अर्थात् भारत गृह रक्षा, भारत सूक्ष्म उद्यम सुरक्षा और भारत लघु उद्यम सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश संदर्भ. आईआरडीएआई/एनएल/ जीडीएल/विविध/004/01/2021 और आईआरडीएआई/एनएल/जीडीएल/विविध/005/01/ 2021 दिनांक 4 जनवरी 2021 के अनुसार दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन मानक उत्पादों ने उक्त नामोल्लिखित जोखिमों के लिए मानक अग्नि और विशेष जोखिम (एसएफएसपी) नीति को प्रतिस्थापित किया तथा उक्त मानक उत्पादों को छोड़कर किसी अन्य उत्पाद को अग्नि और संबद्ध जोखिमों के लिए अनुमति नहीं दी गई।

3. व्यवसाय की अग्नि व्यवस्था में नये कवरों के लिए बढ़ती हुई माँग पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा साधारण बीमाकर्ताओं को उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित अधिसूचना के द्वारा संबंधित अधिसूचना के निरस्त (डी-नोटिफाई) किये गये जोखिमों के लिए, अग्नि और संबद्ध जोखिमों को कवर करनेवाले वैकल्पिक उत्पाद अभिकल्पित करने और फाइल करने की अनुमति देता है। ऐसे वैकल्पिक उत्पाद उक्त मानक उत्पाद के परिवर्तित रूप (वेरियेशन्स) हो सकते हैं तथा उनमें मूल उत्पाद के भाग के रूप में पहले से अनुमोदित ऐड-आन शामिल किये जा सकते हैं। तथापि, मानक उत्पाद में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएँ और वाक्यरचना उक्त वैकल्पिक उत्पादों में प्रयुक्त किये जाने पर भी उन शब्दों के लिए संदर्भ बिन्दु होंगी। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त उत्पादों का कीमत-निर्धारण संबद्ध जोखिमों के अनुरूप होगा।

4. बीमाकर्ता नये वैकल्पिक उत्पादों के लिए वर्तमान उत्पाद फाइलिंग दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

सर्वे नं. 115/1, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032, भारत
✆ : +91-40-20204000 वेबसाइट : www.irdai.gov.in
Survey No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032, India
✆ : +91-40-20204000 Website: www.irdai.gov.in

5. वैकल्पिक उत्पादों की अनुमति देना निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने की अपेक्षा करता हैः

क) बीमा व्यापन को बढ़ाने के लिए निवास-स्थानों, सूक्ष्म और लघु व्यवसायों के विकसित हो रहे अग्नि बीमा जोखिमों का बीमा करना।

ख) वर्तमान अग्नि बीमा उत्पादों में संरक्षण अंतरालों की पहचान करना तथा उपयुक्तता और वहनीयता के तौर पर पालिसीधारकों के हितों पर समुचित रूप में विचार करते हुए बाजार की परिवर्तित हो रही आवश्यकताओं का समाधान करना।

ग) अग्नि बीमा बाजार के स्वस्थ और धारणीय विकास का संवर्धन नये और वैकल्पिक उत्पादों के साथ करना जो मानक उत्पादों के अतिरिक्त, पालिसीधारकों को व्यापक विकल्प उपलब्ध कराते हैं।

6. यह परिपत्र 1 जून 2022 से प्रभावी होगा।

7. नये कवर प्रस्तावित करने के प्रयोजन के लिए प्रचलित मानक पालिसियाँ निरस्त नहीं की जाएँगी।

The Authority, vide notification F.No.IRDAI/Non-life Insurance/5/171/2020 de-notified erstwhile All India Fire Tariff (AIFT) for certain risks. Further, it was notified that with effect from 1st April, 2021, Fire and allied perils covers for the specified risks shall be subject to regulations and/or guidelines enunciated in this regard by the Authority.

2. Accordingly, the Authority issued guidelines for standard products for Fire and allied perils for dwellings, micro and small businesses, namely Bharat GrihaRaksha, Bharat SookshmaUdyam Suraksha and Bharat LaghuUdyam Suraksha vide GuidelinesReIRDA/NL/GDL/MISC/004/01/2021 and IRD/NL/GDL/MISC/005/01/2021 dated 4th January, 2021. These standard products replaced the Standard Fire and Special Perils (SFSP) policy for the named risks and no product other than the standard products was permitted for Fire and allied risks.

3. Afterconsidering the increasing demand for new covers in the fire line of business, the Authority, in exercise of powers under Section 14(2)(i) of IRDA Act, 1999 hereby permits general insurers to design and file alternative products covering Fire and allied perils for the risks de-notified vide notification referred in para 1above. Such alternative products may be variations of the standard product and may include already approved add-ons as part of the base product or may delete an existing provision. However, the definitions and wordings of terms used in the standard product shall be the reference point for those terms when used in the alternative products as well. Needless to add, the pricing of the products shall be commensurate to the risks involved.

4. Insurers shall follow the extant product filing guidelines for the new alternative products.

5. Permitting alternative products seeks to achieve the following objectives:

a) insure evolving fire insurance risks of Dwellings, Micro and Small Businesses to increase insurance penetration.

b) identify protection gaps in the existing fire insurance products and address the changing needs of market with due consideration to the policyholders' interests in terms of suitability and affordability.
c) promote healthy and sustainable development of fire insurance market with new and alternative products that provides wide options to policyholders in addition to standard products.

6. This circular shall come into effect from 1st June, 2022.

7. The standard policies in force shall not be cancelled for the purpose of offering new covers.

कृपया प्राप्ति-सूचना दें और पुष्टि करें कि आपने इस परिपत्र की विषय वस्तु को नोट कर लिया है।

Please acknowledge and confirm having noted the contents of this circular.

यज्ञप्रिया भरत

(यज्ञप्रिया भरत / Yegnapriya Bharath)
मुख्य महाप्रबंधक (गैर-जीवन) / Chief General Manager (Non-life)